**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 934**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर**

**सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज**

**934. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) को अपनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का यूएचसी को डिलीवरी के समय कराधन युक्त और नकदी रहित बनाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा निम्नतम स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को स्वीकृत करते हुए सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तथा रेफरल लिंकेज, रोगी परिवहन प्रणाली आदि के लिए दवा एवं निदान सुविधाएं किस ढंग से प्रदान करने का प्रस्ताव है?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क) से (ग): केंद्र सरकार सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य कवरेज (यूएचसी) की दिशा में राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि राज्‍यों में अपेक्षित संरचनात्‍मक ढांचे और पर्याप्‍त क्षमता की आवश्‍यकता को देखते हुए इस कार्य को एक चरणबद्ध रूप में किया जाना है। राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को नि:शुल्‍क/ सस्‍ती स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या, सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा केंद्रों पर आने वाले सभी लोगों को नि:शुल्‍क औषधियां और उपचार के प्रावधान सहित उनकी स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहायता उपलब्‍ध कराई जा रही है। शहरी आबादी विशेष रूप से गरीब और संवेदनशील आबादी की प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या की आवश्‍यकताओं को भी राष्‍ट्रीय शहरी स्‍वास्‍थ्‍य मिशन की उप-मिशन के रुप में शुरूआत सहित एनएचएम की परिधि में लाया गया है।

इसके अतिरिक्‍त, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना (आरएसबीवाई) जिसे हाल ही में स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय को स्‍थानांतरित किया गया, के तहत सभी बीपीएल आबादी और संवेदनशील आबादी समूहों के ग्‍यारह अन्‍य वर्गों के लिए अस्‍पताल में भर्ती की विशेष प्रक्रियाओं हेतु पांच सदस्‍यों वाले प्रत्‍येक परिवार के लिए 30000 रू. तक प्रतिवर्ष नकद रहित सुविधा उपलब्‍ध है। तृतीयक परिचर्या के संबंध में, 6 एम्‍स जिनका प्रचालन शुरू किया गया है, उनके अलावा 9 एम्‍स की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्‍त, 70 मेडिकल कालेजों/ संस्‍थानों का उन्‍नयन कार्य शुरू किया गया है।

इसके अतिरिक्‍त, तृतीयक परिचर्या के सार्वभौमिकरण की दिशा में पिछले एक वर्ष में 17 नए मेडिकल कालेजों को स्‍थापित करने और 22 जिला अस्‍पतालों के मेडिकल कालेजों में उन्‍नयन का अनुमोदन दे दिया गया है।

वर्तमान में, यूएचसी को डिलीवरी के समय कराधान युक्‍त और नकदी रहित बनाने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है।

(घ): जन स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य का विषय होने के कारण, स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या सेवाएं उपलब्‍ध कराने का प्राथमिक उत्‍तरदायित्‍व राज्‍य सरकारों का है। तथापि, राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्‍य/ संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों को उनके द्वारा अपने कार्यक्रम क्रियान्‍वयन योजनाओं में किए गए प्रस्‍तावों के आधार पर सभी सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा केंद्रों पर दवाइयों व निदान और रेफरेल लिंकेजों, रोगी परिवहन प्रणाली आदि के प्रावधान सहित स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्‍तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

\*\*\*\*\*